

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन, भोपाल 462004

क्रमांक 16 /आउशि/08,
प्रति,

भोपाल,दिनांक 2-1-2009

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय-कय संबंधी /निर्माण /अथवा अन्य प्रस्ताव भेजने संबंधी।

उपरोक्त विषय में देखा गया है कि महाविद्यालयों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं होने तथा अपूर्ण प्रस्ताव होने से समय पर कार्यवाही नहीं हो पाती है ।

(2) इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय के लिए किसी प्रकार के कय प्रस्ताव/निर्माण संबंधी प्रस्ताव अथवा अन्य प्रस्ताव दिनांक 05 जनवरी 2009 तक संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी के ई-मेल पर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।


(3) किसी भी प्रस्ताव को तैयार कर भेजने में इस बात का ध्यान रखे कि निर्माण संबंधी प्रस्तावों में कार्यपालन यंत्री का एस्टीमेट एवं नक्शा पूर्ण होना चाहिए । जनभागीदारी संबंधी प्रस्तावों में जनभागीदारी समिति के का अनुमोदन तथा निधि में उपलब्ध राशि का सत्यापन होना चाहिए । इसी प्रकार पूर्व में प्राप्त राशि का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र,वर्तमान में उपलब्ध सामग्री,छात्र संख्या इत्यादि के साथ प्रस्ताव के वास्तविक आवश्यकता का औचित्य स्पष्ट होना चाहिए ।

(4) निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों तथा अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(5) निर्माण संबंधी प्रस्ताव/जनभागीदारी संबंधी प्रस्ताव/अन्य प्रस्ताव आवश्यकतानुसार पृथक-पृथक भेजे ताकि कार्यवाही में सुविधा हो सके ।

(6) समस्त कय संबंधी प्रक्रिया 15 जनवरी 2009 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि वित्त विभाग से कय पर प्रतिबंध से छूट प्राप्त करने की स्थिति निर्मित न हो ।

(7) ज्ञात हो कि पूर्व में भी विभिन्न योजनाओं में बजट आबंटन जारी किया गया है । अतः 15 जनवरी 2009 तक कय संबंधी समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर कय आदेश जारी करना सुनिश्चित करें ताकि आबंटित राशि का उपयोग हो सके तथा राशि लेप्स होने की स्थिति निर्मित न हो । किसी भी स्थिति में यदि राशि लेप्स होती है तो संबंधित प्राचार्य की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।



(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त


उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 2.1.09

पृष्ठा.क्रमांक 17 /आउशि/08

प्रतिलिपि:- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश